



नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में माल एवं सेवा वर्ग (जीएसटी) से जुड़ी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से अलग करने और जीएसटी आपीली न्यायाधिकरणों के गठन पर

निर्णय दिये जाने वाले संभावना है। परिषद की बैठक 17 दिसंबर को होनी है।

जीएसटी परिषद की बैठक में क्या होगा?

सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद की विधि समिति ने रिपोर्ट में जीएसटी के तहत अपराधों के लिये अभियोजन चलाने को लेकर मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव

अपराध की श्रेणी से बाहर होंगी जीएसटी से जुड़ी गड़बड़ियां? 17 दिसंबर को होगी बैठक

दिया है। समिति में केंद्र और राज्यों के विधि अधिकारी शामिल हैं। विधि समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि कारोबार सुगमता के लिये जीएसटी में अपराधों के निपटान को लेकर जुमाने की राशि को कम किया जाए। इसके अलावा, परिषद 'ऑनलाइन गेमिंग', कसीनो और घुड़दौड़ पर कराधान से संबंधित मुद्दों पर विचार कर सकती है। परिषद द्वारा गठित मत्रियों के समूह (जीओएम) को 'ऑनलाइन गेमिंग', कसीनो और घुड़दौड़ पर कर की दर के बारे

में निर्णय करना है।

वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगा परिषद

समूह ने पिछले महीने इस बारे में विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली। ऐसा समझा जाता है कि जीओएम ने 'ऑनलाइन गेमिंग', कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। भले ही वह कौशल पर आधारित खेल हो या किर किस्मत आधारित। हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं है कि पोर्टल द्वारा वसूले जाने पर शुल्क

पर कर लगाया जाए या फिर प्रतिभागियों से दांव लगाने को लेकर प्राप्त राशि पर। हालांकि, जीओएम ने अभी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री को नहीं दी है। समूह परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक से पहले अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप सकता है।

न्यायाधिकरण के गठन पर भी विचार

जीएसटी में गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने के संदर्भ में विधि समिति ने अभियोजन चलाने की सीमा मौजूदा अध्यक्ष होंगे।

कम हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस की जीएसटी, ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो के दरें बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली। एजेंसी

हेल्थ इंश्योरेंस लेना सस्ता हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18 फीसद से कम करके 12 फीसद किया जा सकता है। आगामी 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों ने जीएसटी काउंसिल से हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले

जीएसटी की दरों को कम करने की गुजारिश की है। सरकार भी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे को बढ़ाना चाहती है और 2047 तक देश के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस के अधीन लाने का प्रयास है। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक, 18 फीसद की जगह 12 फीसद जीएसटी करने से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो जाएगा और इस कारण और अधिक ग्राहक

आकर्षित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर जीएसटी की दरों को बढ़ाकर 28 फीसद किया जा सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग पर अभी 18 फीसद जीएसटी लगता है। काउंसिल की तरफ से ऑनलाइन

गेमिंग, हार्स रेसिंग व कैसिनो पर जीएसटी दरों की समीक्षा और निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया गया था। जीएसटी काउंसिल की गत बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग व कैसिनो पर जीएसटी निर्धारण के मामले में कई मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं हो पाई थी, इसलिए कोई फैसला नहीं हो पाया था।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक,

गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी चोरी के कई मामले सामने आए हैं जिनकी जांच चल रही है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में बताया था कि वर्ष 2019 के अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 की अवधि में गेमिंग कंपनियों से जुड़े 23,000 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले सामने आए हैं और कर अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं। आगामी 17

सरकार ने रेलवे स्टेशनों के मौद्रीकरण के लिए पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव वापस लिया

नवी दिल्ली। एजेंसी

रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये रेलवे स्टेशनों का मौद्रीकरण करने का प्रस्ताव वापस ले लिया है और अब इन परियोजनाओं का



ट्रॉन्डान्डान इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) माध्यम से किया जा रहा है। एक सूत्र ने जानकारी देते हुए कहा, "बड़ी परिसंपत्ति वाली श्रेणी (स्टेशनों) के बारे में प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। पीपीपी मॉडल पर इन स्टेशनों के मौद्रीकरण के लिए लाए गए प्रस्ताव की जगह अब इन परियोजनाओं को ईपीसी मॉडल पर क्रियान्वित किया जा रहा है।"

ईपीसी मॉडल में इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण गतिविधियां संचालित की जाती हैं। अब रेलवे स्टेशनों के लिए यही मॉडल अपनाया जा रहा है।

सूत्र ने कहा कि रेल मंत्रालय को अब ट्रेनों, मालगोदाम, पर्वतीय रेल, स्टेडियम, रेलवे कॉलोनी एवं रेलवे के पास मौजूद जमीन के मौद्रीकरण में तेजी लाने को कहा गया है। दरअसल राष्ट्रीय

पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत रेलवे चालू वित्त वर्ष में अभी तक सिर्फ 1,829 करोड़ रुपये ही जुटा पाया है जबकि लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये रखा गया था। सूत्र ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रेल परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से 4,999 करोड़ रुपये ही जुट पाने का अनुमान है।

रेलवे स्टेशनों का पीपीपी मॉडल से मौद्रीकरण किए जाने का प्रस्ताव वापस लिए जाने के बारे में टिप्पणी के लिए रेल मंत्रालय के अधिकारी प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 14 नवंबर को नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीआरो) परमेश्वरन अथवा के साथ एक बैठक में एनएमपी योजना की प्रगति का जायजा लिया था। सीतारमण ने अगस्त, 2021 में विभिन्न ढाचागत क्षेत्रों की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की एनएमपी योजना पेश की थी। इस बारे में नीति आयोग ने ढाचागत क्षेत्रों वाले मंत्रालयों के साथ मिलकर एक

रिपोर्ट भी बनाई थी। इस बारे में नीति आयोग ने ढाचागत क्षेत्रों वाले मंत्रालयों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट भी बनाई थी।

प्लास्ट टाइम्स

व्यापार की बुलंद आवाज

अपनी प्रति आज ही बुक करवाएं

विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

83052-99999

indianplasttimes@gmail.com

पर्यावरण सहेजकर हम कई मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं: राष्ट्रपति

नयी दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रपति द्वारपाली मुर्मू ने बुधवार को कहा कि पर्यावरण सहेजकर हम कई मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि आने वाली पीढ़ी प्रदूषण मुक्त स्वच्छ हवा में सांस ले सके। मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेष पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किये। उन्होंने इस अवसर पर ‘ईवी-यात्रा पोर्टल’ भी पेश किया। इस पोर्टल को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने तैयार किया है। इसके जरिये निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर का पता लगाया जा सकेगा।

राष्ट्रपति ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “यह सभी के लिये सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाली पीढ़ी प्रदूषण

मुक्त स्वच्छ वातावरण में सांस लें, अच्छी प्रगति करें और स्वस्थ जीवन जिए। स्वच्छ हवा में सांस लेना एक बुनियादी मानवाधिकार है।”

उन्होंने कहा, “पर्यावरण की रक्षा कर, उसे सहेजकर हम कई मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं।” मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि की समस्या को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण वैश्विक के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि देश में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक औसत के एक-तिहाई से भी कम है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने 26 वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-26) में ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवॉयरनमेंट’ (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) यानी ‘लाइफ’

का संदेश दिया था। इसमें विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और पंथपरा में हमारी जीवनशैली हमेशा ‘लाइफ’ के संदेश के अनुरूप रही है। मुर्मू ने कहा कि प्रकृति का समान करना, प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करना और प्राकृतिक संपदा को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवनशैली का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा कि भारत पूरे वैश्विक समुदाय को ऐसी जीवनशैली अपनाने के लिये प्रेरित करने को प्रयास कर रहा है। भारत की जी-20 के लिये अध्यक्षता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जी-20 देश दुनिया के कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 85 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75 प्रतिशत का योगदान देते हैं। साथ ही दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी जी-20 देशों में रहती है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी

अध्यक्षता के दौरान ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के अनुरूप ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का विचार दिया है और हम इसे विश्व पटल पर प्रसारित भी कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं, विशेषकर बच्चों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेष पुरस्कार के विजेताओं को उनकी नई सोच और कार्य के तरीके को भी सराहा। उन्होंने कहा कि उनके नवोन्मेष का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हो सकें और पर्यावरण संरक्षण के नये तरीके विकसित कर सकें। मुर्मू ने सभी से संकल्प लेने का आग्रह किया, “हम जो कुछ भी करेंगे वह हमेशा प्रकृति के हित में होगा, प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं होगा।” उन्होंने कहा कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में ही मानव कल्याण निहित है।

अगले पांच साल में भारत में 80 स्टार्टअप कंपनियों में आईपीओ लाने की क्षमता होगी : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में अगले पांच साल में 100 से अधिक परिपक्व, बड़े स्तर पर लाभ कमाने वाले या लाभ के रस्ते की ओर अग्रसर स्टार्टअप कंपनियां देखने को मिलेंगी। इनमें से 80 स्टार्टअप में आरंभिक सार्वजनिक निर्माम (आईपीओ) लाने की क्षमता होगी। बाजार अनुसंधान और सलाहकार कंपनी रेडसीर की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रेडसीर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स ने

आईपीओ पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अबतक 20 स्टार्टअप कंपनियां आईपीओ ला चुकी हैं। रिपोर्ट कहती है, “देश अगले पांच साल में 100 से अधिक परिपक्व, बड़े पैमाने पर लाभ कमाने वाले स्टार्टअप होंगे। उनमें से लगभग 20 पहले से ही सूचीबद्ध हैं। वहीं 80 अन्य में अपनी आईपीओ यात्रा शुरू करने की क्षमता होगी।” एचएसबीसी के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है।

नयी

प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका में लगभग 43,000 अरब डॉलर के बाजार पूँजीकरण में से लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा प्रौद्योगिकी या नई पीढ़ी कंपनियों का है। इनमें एप्पल और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 3,900 अरब डॉलर के बाजार पूँजीकरण में प्रौद्योगिकी या नई पीढ़ी की कंपनियों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है।

सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वेदांता का 30 जापानी कंपनियों से करार

नयी दिल्ली। एजेंसी

वेदांता समूह ने मंगलवार को कहा कि उसने एक भारतीय से मीठ डब्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण कंपनियों ने भारत बोर सेमीकंडक्टर विनिर्माण अभियान का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई।

वेदांता ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में एक से मीठ डब्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण संयंत्र लगाने की घोषणा की हुई है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से इस संयंत्र को शुरू किया जाएगा। वेदांता ग्लोबल के प्रबंध निदेशन एवं सेमीकंडक्टर व्यवसाय आर्कष के हेबर ने बयान में कहा कि उनकी कंपनी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।


इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेदांता सिर्फ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का एक परिवेश बनाने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहती है।

भारत 2030 तक 30 प्रतिशत भूमि और जल संरक्षित करने का लक्ष्य हासिल कर सकता है : सीओपी15 प्रतिनिधि

एजेंसी

तक संरक्षित करना है। इसे ‘30 गुणा 30’ लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। मोहन ने कहा, “संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, मैनग्रौव, रामसर स्थल, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र और सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र समेत भारत ने पहले ही करीब 27 फीसदी क्षेत्र संरक्षित कर लिया है।” उन्होंने कहा, “अब हम जैव विविधता धरोहर स्थल और अन्य प्रभावी संरक्षण उपायों (ओईसीएमएस) के जरिए और अधिक इलाकों को संरक्षण के तहत लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत 2030 में आसानी से ‘30 गुणा 30’ का लक्ष्य हासिल कर सकता है।”

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सचिव जे. जस्टिन मोहन ने कहा कि भारत 113 देशों के ‘हाई एम्बिशन कोलिशन’ (एचएस) का सदस्य है जिसका मकसद 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को 2030



जो निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संरक्षित होते हैं। मोहन ने कहा, “भारत में ओईसीएमएस के लिए असीम संभावना है और इससे अपने 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे और पर्यटन की संभावना बढ़ाएंगे, जिससे इलाके में रोजगार

के अवसर पैदा होंगे।” संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए स्वदेशी समुदायों की रक्षा के बारे में पूछे जाने पर मोहन ने कहा कि 2002 का जैविक विविधता कानून अन्य वन्य कानूनों के साथ सौहारदूर्पूर्ति के साथ कानून जैव विविधता का विविधता समिति 2,77,123 जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं। हमारी वन्य पारिस्थितिकी के बाहर और इलाकों को जैवविविधता धरोहर स्थलों के तहत लाने की असीम संभावना है।” उन्होंने कहा, “ये इलाके औषधीय पौधों और पक्षी से समृद्ध हो सकते हैं। ये संरक्षित किए जाने पर इलाकों में परिस्थितिकी के प्रबंधन में मदद करेंगे और पर्यटन की संभावना बढ़ाएंगे, जिससे इलाके में रोजगार करते रहे हैं।”

